

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरणं स0 08/2020

प्रवेश तिथि 18.06.2020

निर्णय दिनांक 20.09.2021

JCMS No

उनवान

2020

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कूण्डला तहसील राजगढ़ जिला अलवर 05618

बनाम

1.अर्चना पत्नी कुलदीप सिंह जाति राजपूत निवासी अनावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का कूण्डला द्वारा ग्राम कूण्डला आ0ख0न0 44/1482 रकबा 0.25 हे0 भूमि किस्म बंजड़ खातेदारी भूमि में गैर सायल अर्चना पत्नी कुलदीप सिंह जाति राजपूत निवासी अनावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा 0.25 हे0 पर रिसोर्ट निर्माण कर व्यवसाहिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण कराये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को भूमि रूपान्तरण हेतु समय दिया गया, रूपान्तरण नहीं कराये जाने पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया गैर सायल के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए का उल्लघन किया है। गैर सायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः अर्चना पत्नी कुलदीप सिंह जाति राजपूत निवासी अनावड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के विरुद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम कूण्डला के आ0ख0न0 44/1482/0.25 हे0 भूमि पर व्यवसाहिक(रिसोर्ट) गतिविधि उपयोग करने पर राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर सरह लगान का 0.50 (पूर्णांक 1) का 50 गुणा 50 रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। वसुली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। गैर सायल को यह कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लघन की श्रेणी में आता है। कृषि शर्तों का उल्लघन किये जाने के कारण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फौसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 20.09.2021 को लिखा जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. रा. 4 वर्ष. 2021-22
पृष्ठ सं. 11 पर 90 रु. पै. 50/-
कायम किया गया।
त. रा. लेखाकार